भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3755 का उत्तर

आरपीएफ स्टेशन

3755. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरपीएफ में मंडल-वार और पदनाम-वार कितने कार्मिक नियोजित किए गए हैं;

(ख) देश भर में राज्यवार कितने आरपीएफ स्टेशन हैं;

(ग) क्या रेल यात्रा से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए आरपीएफ कर्मियों की संख्या पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2023 और 2024 के दौरान रेल मंडलवार कितनी शिकायतें दर्ज की गईं, कितने मामले सूचित किए गए और उनकी स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या आरपीएफ कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेलवे सुरक्षा बल में सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण रिक्तियों का होना और उन्हें भरना भारतीय रेल में एक सतत् और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार खुली भर्ती और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है।

वर्तमान में, रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल से लेकर महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी तक 6.31 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने सब-इंस्पेक्टर के

452 पदों और कांस्टेबल के 4208 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं और भर्ती प्रक्रियाधीन है।

देश भर में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट/आउट पोस्ट का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	ओपन लाइन रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट की संख्या	ओपन लाइन रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट की संख्या
आंध्र प्रदेश	43	32
अरुणाचल प्रदेश	0	1
असम	29	26
बिहार	53	44
चंडीगढ़	1	0
छत्तीसगढ़	21	5
दिल्ली	18	15
गोवा	2	0
गुजरात	43	35
हरियाणा	18	16
हिमाचल प्रदेश	0	2
जम्मू और कश्मीर	23	9
झारखंड	34	9
कर्नाटक	24	26
केरल	16	9
मध्य प्रदेश	42	44
महाराष्ट्र	104	49
नागालैंड	1	0
ओडिशा	33	15
पंजाब	20	23
पांडिचेरी	1	0
राजस्थान	40	62
तमिलनाडु	55	32
तेलंगाना	19	19
त्रिपुरा	2	0
उत्तर प्रदेश	118	88
उत्तराखंड	7	5
पश्चिम बंगाल	106	52
सकल योग	873	618

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' एवं लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों पर अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा कानून व्यवस्था बनाए आदि बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसका निर्वाहन अपनी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से करती है। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर संरक्षा और सुरक्षा मुहैया कराने तथा इनसे जुड़े मामलों के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

भारतीय रेल में सुरक्षा संबंधी शिकायतों की प्राप्ति और उनका निपटान भी एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2023 और 2024 (नवंबर तक) के दौरान, क्रमशः कुल 275585 और 263381 सुरक्षा संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा उनका समुचित समाधान किया गया।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-23 में 99.99% शिकायतों का समाधान किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में 99.98% शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा, रेल मदद के माध्यम से वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः 1,43,728 और 2,29,966 यात्रियों को सहायता प्रदान की गई।

रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को अपने पूरे करियर के दौरान व्यापक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसकी शुरुआत कानून प्रवर्तन, संरक्षा, सुरक्षा और रेल परिचालन पर केंद्रित कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण से होती है। इसके बाद, उनके कौशल को अद्यतन करने के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पदोन्नति संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि विभिन्न भूमिकाओं के लिए विभिन्न विशेषीकृत प्रशिक्षण (अर्थात् कमांडो कोर्स, मानव तस्करी की रोकथाम, आसूचना और डिजिटल विधि चिकित्सा शास्त्र, एक्स्ट्रेमिस-एलडब्ल्यूई, लिंग संवेदीकरण, स्वास्थ्य सुधार, आपदा प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, प्रापण, कार्मिक विकास और इमर्जिंग ट्रेनिंग) प्रदान किए जाते हैं, जिससे निरंतर पेशेवर विकास सुनिश्चित होता है।

*****